संख्या-114/2020/3602/71-1-2020-जी-36/2014

प्रेषक,

एस0 पी0 सिंह,
अनु सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1 लखनऊ : दिनॉक 26 सितम्बर, 2020

विषय:- वित्तीय वर्ष 2020-21 में मेडिकल कालेज, मेरठ में लेक्चर थियेटर एव केन्द्रीय पुस्तकालय के निर्माण हेतु आगामी किश्त की धनराशि अवमुक्त किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रधानाचार्य, मेडिकल कालेज, मेरठ के पत्र संख्या-7797, दिनॉक 18-09-2020 के संदर्भ में उल्लेखनीय है कि मेडिकल कालेज, मेरठ में लेक्चर थियेटर एव केन्द्रीय पुस्तकालय के निर्माण हेतु रू0 1617.60 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति तथा रू0 640.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति शासनादेश संख्या-1048/71-1-15-जी-36/2014, दिनॉक 26-05-2015 द्वारा प्रदान की गयी है। पुन: शासनादेश संख्या-257/2018/4195/71-1-2018-जी-36/2014, दिनॉक 27-09-2018 द्वारा रू0 200.00 लाख एवं शासनादेश संख्या-69/2019/2107/71-1-2019-जी-36/2014, दिनॉक 13-08-2019 द्वारा रू0 300.00 लाख की धनराशि अवमुक्त की गई। इस प्रकार प्रश्नगत कार्य हेतु कुल रू0 1140.00 लाख धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है।

2- प्रधानाचार्य के उक्त पत्र के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मेडिकल कालेज, मेरठ में लेक्चर थियेटर एव केन्द्रीय पुस्तकालय के निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2020-21 में राजकीय मेडिकल कालेज, मेरठ हेतु अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत वृहद निर्माण कार्य में प्राविधानित धनराशि रू0 1200.00 लाख में से रू0 50.00 लाख (रू0 पचास लाख मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते है:-

1- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनॉक 24-03-2020 एवं शासनादेश दिनॉक 07.04.2020 एवं 11.04.2020 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
2- स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्हीं कार्यो/मदों में किया जायेगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है, किन्ही अन्य कार्यो/मदों पर धनराशि का व्यय अथवा व्ययावर्तन वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।
3- प्रायोजना का निर्माण कार्य निर्धारित समयावधि में अवश्य पूर्ण कर लिया जाय।
4- कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी महानिदेशक/प्रधानाचार्य/कार्यदायी संस्था की होगी।
5- अवमुक्त धनराशि का आहरण एकमुश्त नहीं किया जायेगा, अपितु आवश्यकतानुसार करते हुए व्यय नियमानुसार किया जायेगा। आहरित धनराशि को किसी पी0एल0ए0/बैंक खाते में नही रखा जायेगा।
6- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनॉक 24-03-2020 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
7- प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यो की दिरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से महानिदेशक /प्रधानाचार्य द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।
8- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2 के शासनादेश दिनॉक 19-10-2015 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
9- निर्माण कार्य की थर्ड पार्टी आडिट रिपोर्ट में इंगित सुझावों के अनुसार कार्यदायी संस्था द्वारा कार्यवाही की जायेगी।
10- कार्यदायी संस्था को दो माह की आवश्यकता के अनुसार धनराशि अवमुक्त की जायेगी। विभागाध्यक्ष कार्यालय में तैनात वित्त नियंत्रक का यह उत्तरदायित्व होगा कि धनराशि का कोषागार से आहरण दो-दो माह की आवश्यकता के अनुसार ही किया जाये।
11- शासनादेश संख्या-1048/71-1-15-जी-36/2014, दिनॉक 26-05-2015 में उल्लिखित अन्य शर्ते यथावत् रहेंगी।

3- उक्त पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-31 के अधीन लेखाशीर्षक "4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय-03-चिकित्सा, शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-105-एलोपैथी-41-राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कालेज, मेरठ-24-वृहद निर्माण कार्य" के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-3-892/दस-2020, दिनॉक 23 सितम्बर, 2020 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(एस0 पी0 सिंह)
अनु सचिव

संख्या:-114/2020/3602(1)/71-1-2020 तद्यदिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- वित्त नियंत्रक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
3- प्रधानाचार्य, मेडिकल कालेज, मेरठ।
4- वित्त नियंत्रक, मेडिकल कालेज, मेरठ।
5- वरिष्ठ कोषाधिकारी, मेरठ।
6- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0, गोमती नगर, लखनऊा
7- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
8- नियोजन अनुभाग-4/गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(एस0 पी0 सिंह)
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।